

उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ

अनुपचारित स्थित बीज न्यायदर्शी से प्राप्त बीज मात्रा का वितरण

क्र.सं.	बीज / किस्म का नाम	नीचाने हेतु कुल उपलब्ध मात्रा		
		कुन्नात	किलो	ग्राम
1	धान	07	17	100
2	अरहर	01	24	200
3	सिउ	00	05	480
4	उड़	05	74	000
5	सोयाबीन	00	32	200
6	मसूर	03	43	800
7	होरेई	00	38	000
8	मूंग	05	14	400
9	मटर	16	13	300
10	मिण्टी	00	23	900
11	लोबी	00	13	700
12	होरेया / राई	00	22	170
13	मालक	00	06	400
14	मूंग	00	00	800
15	मूंग	00	00	200
16	मूंग	195	10	400
17	अरहर	00	55	000
18	राजमा	00	01	700
19	चना	02	24	500
20	उड़	00	98	300
21	अलसी	00	04	600
22	होरेया	00	00	500
23	तरबूज	00	03	400
24	तरबूजा	00	00	270
25	मक्का	00	00	700
26	करेला	00	20	300
27	खीरा	00	00	120
28	ज्वार	00	09	800
29	लोबिया	00	06	500
30	मूंगफली	00	02	000
31	बाजरा	00	00	120
32	कददू	00	01	750
33	बरसीम	00	00	250
योग		239	69	860

21/10/2010
2-10/10

Handwritten signature

नीलामी शर्तें

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बीज परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षणयोग्यता एवं उपलब्ध/अनुपचारित विभिन्न फसलों के बीज न्यायदर्शी की लगभग 239 कुन्तल 70 किलो मात्रा की "जहाँ है, जैसा है" की स्थिति में खुली बोली के माध्यम से नीलामी दिनांक 12.04.2018 के अपरान्ह 14:00 बजे संस्था मुख्यालय परिसर, लखनऊ में गठित समिति द्वारा की जायेगी। नीलामी की शर्तें निम्नवत है:-

1. नीलामी हेतु जमानत धनराशि रु0 40,000.00 नगद रुप में नीलामी से पूर्व दिनांक 12.04.2018 के अपरान्ह 13:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा। बोलीदाता धरोहर धनराशि जमा करने के उपरान्त ही बोली में सम्मिलित हो सकता है।
2. नीलामी की खुली बोली दिनांक 12.04.2018 को अपरान्ह 14:00 बजे निदेशक महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी।
3. उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत धनराशि तुरन्त नगद रुप में संस्था(सु0) कोषी के पास जमा करना होगा। ऐसा न करने पर जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं द्वितीय बोली पर विचार किया जायेगा।
4. उच्चतम बोली तभी मान्य होगी जब निदेशक, बीज प्रमाणीकरण द्वारा अनुमोदित कर दिया जायेगा।
5. बीज की मात्रा "जहाँ है, जैसा है" की स्थिति में उठाना होगा।
6. नीलामी/बोली की शेष धनराशि, बोली के एक सप्ताह के अन्दर जमाकर अनुपयुक्त बीजों को अपने बरदाने में एवं अपने खर्च से कार्यालय समय में तुरन्त उठाना होगा। संस्था द्वारा कोई भी व्यय वहन नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि के अन्दर नीलाम की गयी मात्रा को न उठाने पर रु0 10/- प्रति कुन्तल की दर से प्रतिदिन का भण्डारण शुल्क अलग से देना होगा एवं 20 दिन के अन्दर न उठाने पर जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

बीजों की नीलामी कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व एवं नीलामी सूचना प्रकाशन के बाद से किसी भी दिन कार्यालय दिवस में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे के मध्य मुख्यालय बीज भण्डार में बीज मात्रा का अवलोकन किया जा सकता है।

नीलामी कार्यवाही को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने या नीलामी की पूर्ण कार्यवाही को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक बीज प्रमाणीकरण को होगा।

नीलामी हेतु प्रस्तावित दिनांक को राजकीय अवकाश घोषित होने की दशा में समस्त कार्यवाही अगले कार्य दिवस में सम्पादित की जायेगी।

विवाद की स्थिति में मा0 न्यायालय, लखनऊ जनपद ही मान्य होगा।

जीएसटी/सीजीएसटी नियमानुसार स्वीकृत बोलीदाता द्वारा बोली पर अतिरिक्त देय होगा। अन्य किसी भी प्रकार के स्थानीय टैक्स का उत्तरदायित्व भी क्रेता का होगा।

10. बीजे सीक्यूरिटी एंड क्वॉलिटी सेल में जलमय की धनराशि बोलीदाताओं को वापस कर दी जायेगी।
11. बीजे के पूर्व काउंसिलर के लीडरशिप की प्रमाणित प्रति, पैन कार्ड, टिन नम्बर एवं आर्यभट्ट कार्ड की सब प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
12. तब ही बीजे स्वीकार नहीं की जायेगी।

संयुक्त निदेशक

(सी०के० मिश्रा)
संयुक्त निदेशक

पत्र सं० बी०१०० / प्रयोगशाला / अनुपयुक्त बीज नीलामी / तद दिनांक ०२.०१.२०१८

प्रतिनिधि - निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. नीलामी समिति के अध्यक्ष/समस्त सदस्यों को इस अनुरोध के साथ की संधारमय नीलामी कार्यवाही सम्पन्न करने का कष्ट करें।
2. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक, राष्ट्रीय बीज निगम, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०१०० बीज विकास निगम, लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, उ०१०० राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ।
6. सहायक लेखाकार कम कोषी (नु०), उ०१०० राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ।
7. कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
8. संस्था की वेबसाइट "www.upseedcert.org" पर।

(सी०के० मिश्रा)
संयुक्त निदेशक